

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 04/2022 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

रोहित कुमार पुत्र राजकुमार यादव उम्र 34 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता)मैसर्स यदुवंशी मिल्क डेयरी, बुध की हाट, भरतपुर निवासी पुरोहित मौहल्ला, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एवं 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 11.02.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एवं 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 11.02.2022 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 08.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स यदुवंशी मिल्क डेयरी, बुध की हाट, भरतपुर निवासी-पुरोहित मौहल्ला, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त डेयरी पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु एक कोल्ड रूम में 200 ग्राम वजनी पैकिंग के 15 मूल सील्ड पैक लोहे की एक बडी ट्रे

में करीब 20 किग्रा0 पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/137/एक्ट/2021/166 दिनांक 14.09.2021 द्वारा उक्त पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) का नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 एवं 52 का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स यदुवंशी मिल्क डेयरी, बुध की हाट भरतपुर से पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 08.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की डेयरी पर आया जाता के विक्रय हेतु पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) करीब 20 किग्रा0 रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/137/एक्ट/2021/166 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा उक्त पिज्जा चीज (ब्रांजा ब्राण्ड) का नमूना अवमानक एवं

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
केशव कुमार गोयल बनाम रोहित कुमार
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) संख्या 04/2022

निथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Substandard & Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार Test for added starch का मानक Negative होना चाहिये था
परन्तु इसका मानक Positive पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। दौराने
सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं
सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती
होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की
चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत
गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)
के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में
जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर